बनाम

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हूक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 11 सन 2016

अनवान :–

1. बृजलाल पुत्र कुलदीप जाति बाजीगर निवासी 2 केएसपी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. सरदाराराम पुत्र पहलवानराम जाति बाजीगर निवासी डबलीबास मौलवी जिला हनुमानगढ

वादीगण

बनाम

1. मनीराम पुत्र मेधाराम जाति नायक निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 387 / 397 के खसरा न0 61 की 3.7310हैक व खसरा न0 115 की 1.3910हैक खसरा न0 117 की 0.3030हैक कुल 5.4250हैक जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सयुक्त खाता में दर्ज है वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा के अनुसर भूमि काश्त करते आ रहे है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि सयुक्त खाता में दर्ज है इसलिये वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि का खाता व लगान अलग अलग दर्ज करवाना चाहते है वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को सुना जाकर राजस्व लोक अदालत के दौरान वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर तजबीज तकसीम रिपोर्ट वाद भूमि के सम्बध में चाही गई तहसीलदार नोहर के द्वारा वाद भूमि के सम्बध में अपने पत्रांक 5530 दिनांक 13.11.2018 से तजबीज तकसीम रिपोर्ट पेश की गई जो शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों को सुना गया।

वकील वादीगण ने तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत तजबीज तकसीम रिपोर्ट पर सहमति जाहिर करते हुए खाता विभाजन करने हेतु निवेदन किया गया एवं तहसील की रिपोर्ट अनुसार रजास्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने वकील वादीगण/प्रतिवादी को सुना पत्रावली का अवलोकन किया मुश्तरका खातेदार अपने हक हिस्सा के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है उसी के अनुसार तहसीलदार नोहर के द्वारा तजबीज तकसीम रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार खाता व लगान अलग – अलग करने में उभयपक्ष सहमत होने के कारण वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा बृजलाल पुत्र कुलदीप जाति बाजिगर निवासी 2 केएसपी तहसील टिब्बी खातेदार रहन एसबीआई शाखा नोहर भूर्त रोही मोजा

Ved Copy Not Official

बडबिराना बारानी के खसरा न0 61/1 की 2.2604हैक बारीन प्रथम भूमि रहेगी एवं सरदाराराम पुत्र पहलवान 2.2604हैक जाति बाजीगर निवासी डबलीबास मौलवी , मनीराम पुत्र मेधाराम 0. 9042हहैक जाति नायक साकिन देह हाल करण्डी खातेदार रहन सरदाराराम हिस्सा एसबीआई बैक नोहर भूर्त रेाही मोजा बडबिराना के खसरा न0 61/2 की 1.4706हैक , खसरा न0 115/ की 1. 3910 ,117 की 0.3030हैक कुल 3.1640हैक बारानी प्रथम भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में खाता व लगान अलग अलग दर्ज किये जाने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 100/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे । व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.12.18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official